न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2020-00141Ju2020-60 Gaotamchand Vs Genaram etc

गौतमचंद पुत्र श्री अलसाराम, जाति ब्राहमण, निवासी- बरसिंगों का बास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. गैनाराम पुत्र श्री जवाराराम
02. हनुमान राम जवाराराम
03. नरूराम पुत्र जवाराराम
04. बंशीलाल पुत्र अलसाराम
05. चुतराराम पुत्र अलसाराम
06. बाबुलाल पुत्र जगनाथ,
07. घेवर पुत्र जगनाथ
08. सीता पत्नी स्व. मोहनराम पिता जगनाथ,
09. जसराज पिता स्व. मोहनराम पिता जगनाथ, सभी जातियान् ब्राहमण, निवासीगण- बरसिंगों का बास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
10. तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 18 जून 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 516/2020 गैनाराम व अन्य बनाम गौतमचंद इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री शेखर मेवाड़ा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 10

नि र्ण य

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 516/2020 गैनाराम व अन्य बनाम गौतमचंद इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जून 2020 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 23 जून 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन द्वारा एक वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा साथ में 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरसिंगों का बास, तहसील लोहावट के खेत खसरा नं. 1515 रकबा 170.06 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थी पूवर्जो के समय से काबिज चले आ रहे है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन का 1/4 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 से 9 का 1/4 हिस्सा है तथा मौकेग पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज है। भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। इसलिए मौके पर झगड़ा रहता है, जिसके लिये सह खातेदारों के मध्य बंटवाड़े हेतु तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा अंत में विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड तथा निर्माण इत्यादि नहीं किये जाने की मांग रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर एकतरफा बहस सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 18.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या चार से नौ को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आगामी तारीख पेशी तक मौके पर कोई पेट काटे जाने तथा पत्थर नहीं रोपे जाने तथा विद्युत कनेक्शन नहीं किये जाने तथा खुदाई कार्य नहीं किये जाने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी किये जाने के पश्चात संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है जो आदेश 39 सीपीसी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भी अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन ने तथ्यों को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया तथा मात्र अपीलार्थी को अपने भूमि के विकास से रोकने हेतु तथा विघुत कनेक्शन के जोड़ने से रोकेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे किसी भी स्तर पर रोका नहीं जा सकता है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा मिलावट करते हुए जानबूझ कर अपीलार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा ब्लैकमेल करने हेतु वाद प्रस्तुत किया, जबकि कनेक्शन जारी हो रखा है, इसलिए यह वाद प्रस्तुत किया तथा मात्र विघुत कनेक्शन को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे रोकने का कोई कारण नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य हैं अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सहखातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय को सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा न ही सहखातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलभूत बिदुओं पर विवेचना किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है, जो आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या दो द्वारा पूर्व में भी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 21.06.2017 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा स्वीकार किया हुआ है, जिसमे विवादित भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित हो रखा है, जिसके विरुद्ध श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर, में कार्यवाही किये जाने पर अपने आदेश दिनांक 29.11.2019 के द्वारा अपीलार्थी की भूमि के संबंध में स्थगन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश हटा दिया गया है, जिस पर पुनः नया दावा प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से तथ्य छुपाकर स्थगन ओदश प्राप्त किया गया है। उक्त स्थगन की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा एक आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र वास्ते कनेक्शन की इजाजत हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 जून 2020 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलांट बंटवाड़ा करवाये बिना मौके की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 6993/2019 में अपने आदेश दिनांक 29.11.2019 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में अपीलांट गौतमचंद के हिस्से को अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व लंबित वाद संख्या 132/2012 में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.06.2017 के द्वारा जारी निषेधाज्ञा से अप्रभावी रखा गया। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि के 1/2 हिस्से की मौके पर भूमि में ट्यूबवेल खुदवाई जाकर कृषि कनेक्शन हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिमांड राशि का भुगतान किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत उसके विरुद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जून 2020 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर अस्थाई व्यादेश केलिए निर्धारित तीनों बिंदुओं के संबंध में पूर्ण तार्किक विवेचन पश्चात् विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28 दिसंबर 2021 को उपस्थित रहे, तब तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट के विवादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्से तक के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर